

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी: निवेदन है कि ग्राम-नारोली की गणसूची संख्या-28  
उत्पन्न कर वक्त साक्षात्करण सं. 1591 में चिरंजी की खिंसात हार  
के चिरंजी लासबाइ के चिरंजी शान्ती सीता पुत्री चिरंजी दत्त के हस्त  
सम्पन्न में चानश्याम हार चिरंजी लासबाइ के चिरंजी शान्ती सीता पुत्री  
अमल हो गया। जिसमें हार का काम सम्पन्न हो चुका गया। अतः  
473, व 474 में हार चानश्याम के चिरंजी लासबाइ के चिरंजी शान्ती  
चिरंजी जाते नाम के कलुहा किता गाना नुस्खाकित है।

O.K. 13.6.17

प. करौली  
JLR नॉरॉ  
13.06/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमान जी,

मुताबिक निवेदित 3-1-1999 नारोली, जप हार नारोली के आउथा  
खाल सं- 473, 474 में हार 310 चिरंजी शान्ती जोशनी  
की अतिपशा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)  
तहसील सपोटरा (करौली)

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, 31.12, तहसीलदार सपोटरा एवं प्रस्तुत दस्तावेज  
के अन्वय पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। आदेश प्रस्तुत  
से जातीय प्रकृति के लक्ष्य शुभा (10/12) नम्बर से करे।

पीठासीन अधिकारी (SDM)  
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

441	0-19	न
589	0-10	न
न- 2	1-09	
सं-		
प्रपत्र केवल प्रार्थी की न		
सका उपयोग किसी भी न		
तिलिपि जारी करने की नि		
मान्यकरण अद्यतन वि		

चायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटशा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प नारोली डांग

**:- आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नारोली डांग व भूअ.नि. नारोली डांग की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटशा / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नारोली तहसील सपोटशा व जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 473,474 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
०१.	नारोली	473,474	धनश्याम पुत्र चिरेजी, लालबाई देवाचिरेजी, शानी बीठा पुत्रीपुत्र चिरेजी हि० 113	हरि, धनश्याम पि० चिरेजी लालबाई देवा चिरेजी शानी बीठा पुत्रीपुत्र चिरेजी हि० 113

**पीठासीन अधिकारी (SDM)**

राजस्थान लोक अदालत के माध्यम से आपके द्वारा  
सपोटशा लोक अदालत नारोली (राज०)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, .....

दिनांक:- 13/6/17

क्रमांक:- सपोटशा/2017/110-12  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोटशा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हरिधनश्याम पुत्र चिरेजी शानी को सूचनार्थ  
नायब हि० नारोली
3. रक्षित पत्रावली।

(SDM)  
**पीठासीन अधिकारी (SDM)**  
राजस्व लोक अदालत के माध्यम से आपके द्वारा  
सपोटशा उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर